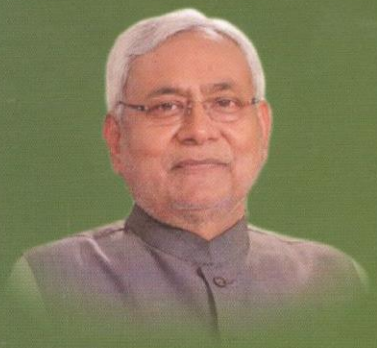

बिहार सरकार

विकसित बिहार के 7 निश्चय

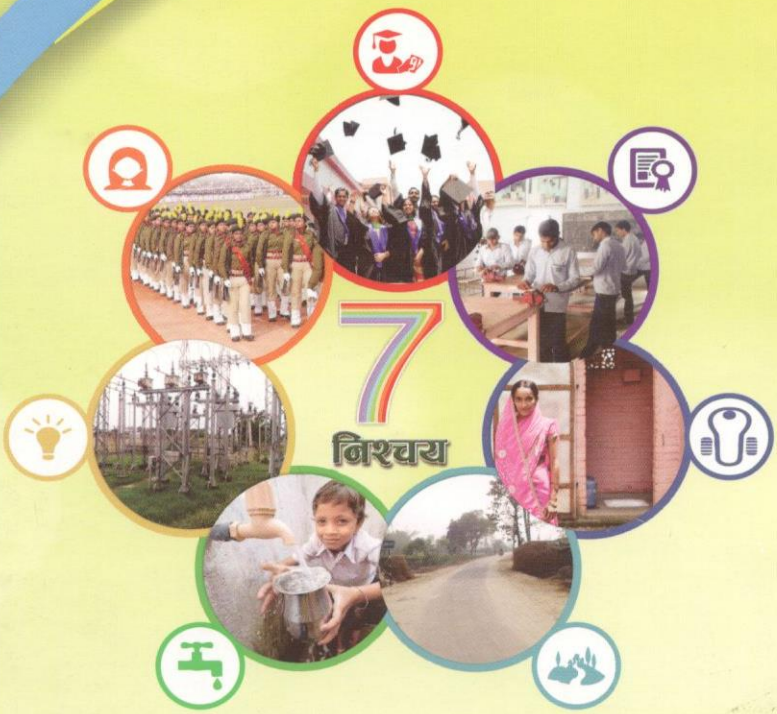

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग
बिहार सरकार

विकसित बिहार के 7 निश्चय

परिचय

राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, आधारभूत संरचना और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश के लिए जिन कार्यक्रमों को पूर्व में लागू किया गया उनसे बहुत कुछ हासिल हुआ है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पिछड़े एवं वंचित वर्गों के विकास एवं कल्याण की भी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इन सभी को आगे जारी रखते हुए, अपने अनुभवों के आधार पर आगामी पाँच वर्षों के लिए 'न्याय के साथ विकास' पर आधारित कार्यक्रम तय किया गया है। सरकार द्वारा 'विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय' लिए गए हैं और उन्हें 'सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020' में सम्मिलित किया गया है।

सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं यथाः पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध हो बल्कि आधारभूत संरचनाएं यथाः सड़क, गली–नाली, पुल आदि का भी विस्तार हो। राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ उनके लिए उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास की व्यवस्था कर रही है। इन्हीं बिंदुओं को समाहित करते हुए सरकार द्वारा 'विकसित बिहार के 7 निश्चय' की रूप–रेखा तैयार की गई, जिसके अंतर्गत बनाई गयी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त हो रहा है।

इन निश्चय एवं कार्यक्रमों का मिशन मोड में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है। बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शासी निकाय, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति एवं विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सात उप–मिशन का गठन किया गया है। बिहार विकास मिशन के अंतर्गत सात उप–मिशन यथाः युवा उप–मिशन, पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप–मिशन, मानव विकास उप–मिशन, कृषि उप–मिशन, उद्योग एवं व्यवसाय उप–मिशन, आधारभूत संरचना उप–मिशन तथा लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप–मिशन हैं।

निश्चय 1 : आर्थिक हल, युवाओं को बल

राज्य सरकार द्वारा बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर देने एवं उसे सक्षम बनाने के लिए निम्न योजनाएं / कार्यक्रम / नीति प्रारंभ की गई है–

i. बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना
ii. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना
iii. कुशल युवा कार्यक्रम
iv. पांच सौ करोड़ रुपये के Venture Capital Fund का प्रावधान
v. सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में वाई–फाई के माध्यम से इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना।

i. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

❖ आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर, 2016 से लागू की गयी, जिसमें बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा था। किंतु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनुभवों के कारण बैंकों की भूमिका को समाप्त करते हुए संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 1 अप्रैल, 2018 से शुरू की गयी है। इस योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

❖ इस योजना अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम चार लाख रुपये तक स्वीकृत की जाएगी। इस ऋण राशि पर सरल ब्याज की दर 4 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर आवेदकों को मात्र 1 प्रतिशत सरल ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आवेदक के हॉस्टल में रहने की स्थिति में उनके शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त रहने के खर्च (living expenses) के लिए वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित दर पर राशि आवेदक के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

- किसी लाभार्थी के द्वारा पूर्व में कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ लेने के पश्चात् भी भविष्य में नियमानुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया जा सकता है।

लक्ष्य

- वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50,000, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 75,000 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1,00,000 अनुमानित विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने का अनुमान है।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्तें

- आवेदक बिहार अथवा अन्य राज्य/केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया हो या नामांकन के लिए चयनित हो।
- बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं अथवा समतुल्य (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य यथा झारखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं पं0 बंगाल के विद्यालय या बोर्ड से 12वीं (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
- आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम, जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है, के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है तथा उन्हें किसी अन्य स्त्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या अन्य कोई सहायता प्राप्त नहीं हो।
- यह ऋण उच्च शिक्षा के विभिन्न व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों यथाः बी.ए./बी.एस.सी/बी.कॉम/इंजीनियरिंग/एम.बी.बी.एस./प्रबंधन/विधि/एम.सी.ए. सहित कुल 42 पाठ्यक्रमों के लिए दी जा रही है।

ऋण राशि की अगली किस्तों का भुगतान एवं वापसी

- इस ऋण राशि पर moratorium अवधि जो कि पाठ्यक्रम समाप्ति से एक वर्ष तक अथवा आवेदक के नियोजित होने के अधिकतम 6 माह (जो सबसे पहले हो) तक ब्याज की राशि देय नहीं होगी। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् 2 लाख तक के ऋण को अधिकतम 60 मासिक किस्तों में तथा 2 लाख से ऊपर के ऋण को अधिकतम 84 मासिक किस्तों में वापस किया जा सकेगा। निर्धारित अधिकतम अवधि से पूर्व ऋण वापसी की स्थिति में 0.25 प्रतिशत ब्याज दर की छूट दी जाएगी।
- निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने या स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण वसूली स्थगित रखी जाएगी, किन्तु इसके लिए प्रत्येक जून एवं दिसम्बर माह के अंतिम पखवाड़े में आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र DRCC पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा कि आवेदक नियोजित/स्वरोजगार अथवा अन्य किसी साधनों से आय प्राप्त नहीं कर रहा है।

ii. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत राज्य के निवासी 20–25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे बेरोजगार युवा जो अध्ययनरत नहीं हों तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हों परन्तु उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हों, को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें युवा आवेदकों को सहायता के तौर पर 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता दो वर्षों के लिए दिया जाता है। आवेदकों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाता है। यह योजना 2 अक्टूबर, 2016 से लागू की गयी।
- आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्त्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो एवं उसे किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो। किसी लाभार्थी के द्वारा पूर्व में कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ लेने के पश्चात् भी भविष्य में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अभी तक 2,49,343 आवेदकों को 211.34 करोड़ रु० स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया गया है।

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे,
कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह–सवेरे।

iii. कुशल युवा कार्यक्रम

- कुशल युवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 2016 से प्रारम्भ किया गया जिसके तहत राज्य के वैसे 15 से 28 वर्ष के सभी युवा जो कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण हैं, को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल 240 घंटे के प्रशिक्षण में भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल 80 घंटे, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान 120 घंटे एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण 40 घंटे का होता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्यवन हेतु राज्य के सभी प्रखंडों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं द्वारा निजी प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।
- आवेदक बिहार में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मात्र मैट्रिक (10वीं) उत्तीर्ण हो। सीमावर्ती प्रखंडों के वैसे छात्र जो बिहार के मूल निवासी हों तथा जो मैट्रिक की परीक्षा किसी अन्य राज्य के बोर्ड से उत्तीर्ण हुए हों, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षण संस्थान (अभियंत्रण, पॉलिटेकनीक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण) में अध्ययनरत आवेदक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं एवं उन्हें उम्र सीमा में छूट प्राप्त है। आवेदन की अधिकतम उम्र सीमा में दिव्यांग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति को 5 वर्ष एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट दी गयी है।
- आवेदक किसी जिले के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी लाभार्थी द्वारा पूर्व में कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ लेने के पश्चात् भी भविष्य में नियमानुसार स्वयं सहायता भत्ता योजना अथवा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अभी तक 4,31,309 युवाओं का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है तथा 64,256 प्रशिक्षणरत हैं। अभी 1546 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं।
- बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाईन प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाईन आवेदन वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाईन निबंधन की प्रक्रिया Yuva Nishchay Mobile App के माध्यम से भी की जा सकती है। Yuva Nishchay Mobile App को पोर्टल से अथवा Google Play Store से Download किया जा सकता है। वेबसाईट www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर अपने यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड की सहायता से लॉग–इन कर, मोबाईल एप पर अपने यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड की सहायता से लॉग–इन कर, अथवा युवा निश्चय सुविधा केन्द्र के टॉल फ्री नं0 18003456444 से योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

iv. बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017

- राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु **'बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017'** लागू की गयी है। इसके तहत प्रगतिशील/नवारंभ प्रस्ताव देने वाले युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता, इन्क्यूबेशन सेंटर, फंडिंग, प्रचार–प्रसार, प्रमाणीकरण आदि की व्यवस्था इस नीति के मुख्य अंग हैं। इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपये के Venture Capital Fund का प्रावधान है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्वायत्त निकाय गठित है। सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति का गठन स्टार्ट–अप द्वारा अपेक्षित सभी वैधानिक अनुज्ञा पत्र/क्लियरेंस प्राथमिकता के आधार पर सुगम बनाया गया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 एवं इसकी नियमावली के तहत निवेश प्रस्ताव पर 30 दिनों के अंदर निर्णय लेना बाध्यकारी है। स्टार्ट–अप नीति, 2017 अधिसूचना निर्गत की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी होगी।

स्टार्ट–अप का लाभ उन्हें प्राप्त होगा जो

- बिहार में अवस्थित और निबंधित हो तथा जिसका विगत पांच वित्तीय वर्ष में वार्षिक लेन–देन किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। प्रस्ताव तकनीक आधारित अथवा बौद्धिक संपदा पर आधारित अथवा नए उत्पादों के वाणिज्यीकरण अथवा सेवा से संबंधित हो।

वित्तीय सहायता

- प्रत्येक निवेशक को बीज निवेश सहायता के अंतर्गत प्रति स्टार्ट–अप 10 लाख रु. तक 10 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त लोन वित्तीय सहायता के रूप में दिया

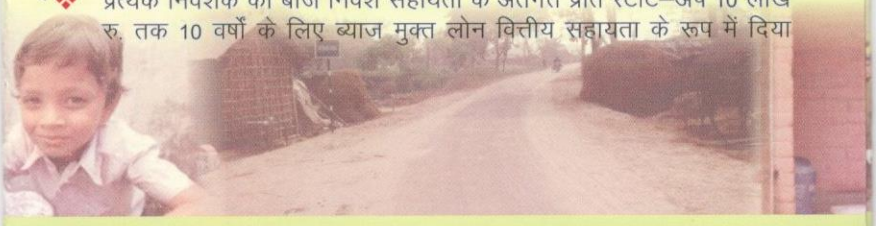

जायेगा। महिला उद्यमी को 5 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति को 15 प्रतिशत एवं दिव्यांग को 15 प्रतिशत की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

v. सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई–फाई

- वर्तमान परिवेश में राज्य सरकार ने ई–गवर्नेंस की अपार संभावनाओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के शिक्षित युवाओं को इंटरनेट से जोड़ने का संकल्प लिया है। इसके लिए आवश्यक है कि इन शिक्षित युवाओं को इंटरनेट से जोड़ा जाये, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रम, बदलाव एवं विकास से अवगत हो सकें। यह योजना 22 मार्च, 2017 से लागू की गयी। इस योजना पर लगभग 245 करोड़ रुपये का व्यय किया जा रहा है।
- सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाई–फाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा 313 शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध करायी जा रही है। इन संस्थानों में विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय एवं अन्य संस्थान शामिल हैं।

निश्चय 2 : आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार

- महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ–साथ उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया तथा इसे फरवरी, 2016 से राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में लागू कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित 35 प्रतिशत आरक्षण के चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण किया गया है।

निश्चय 3 : हर घर बिजली

- राज्य सरकार द्वारा इस निश्चय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक इच्छुक परिवार के घर को बिजली की उपलब्धता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में **मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना** लागू की गयी है जिसके तहत सरकार अपने संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक परिवारों को दिसंबर, 2018 तक विद्युत संबंध उपलब्ध करायेगी। इस योजना का शुभारंभ 15 नवंबर, 2016 को किया गया। इस योजना पर 1897 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- दिसम्बर, 2017 में सभी 39,073 गाँवों का विद्युतीकरण तथा अप्रैल, 2018 तक 1,06,249 टोलों का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है। सभी घरों को दिसम्बर, 2018 तक विद्युत् संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

निश्चय 4 : हर घर नल का जल

- इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के नागरिकों को बगैर किसी भेद–भाव के पाईप का जल उपलब्ध कराना है। इसके तहत सभी घरों में पाईप के माध्यम से नल का जल पहुंचाने हेतु योजनाओं का सूत्रण किया गया है। इस कार्य को 8386 ग्राम पंचायतों और 143 नगर निकायों के सामूहिक प्रयास से पूरा किया जायेगा। इस निश्चय को दिनांक 27 सितम्बर, 2016 को प्रारंभ किया गया। इस निश्चय को पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना लागू किया गया है।

i. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना

उद्देश्य

- इस योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है जिसके तहत राज्य के गैर–गुणवत्ता प्रभावित 4291 ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों के परिवारों को पाईप के माध्यम से नल के जल की आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
- इस योजना का लाभ सभी परिवारों को बगैर किसी भेद–भाव के समान रूप से प्राप्त होगा। वार्डों के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण वार्डों की अनुसूचित जनजाति/जाति की जनसंख्या एवं 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित पंचायतों की

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत
टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।

संख्या के आधार पर किया जायेगा। इस योजना पर कुल 8373 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है, जिसमें राज्य योजना मद से 3068 करोड़ रुपये का व्यय किये जा रहे हैं।

ii. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना

- इस योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जा रहा है जहां का जल आयरन, फ्लोराईड तथा आर्सेनिक से प्रभावित है। इस योजना के तहत राज्य के 3068 ग्राम पंचायतों के 30497 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के सभी परिवारों को पाईप के माध्यम से नल के जल की आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
- राज्य के 11 जिलों के 3814 वार्डों में अधिक फ्लोराईड तथा 10 जिलों के 21598 वार्डों में अधिक आयरन की समस्या है। इसके अतिरिक्त 12 जिलों के 5085 वार्ड अधिक आर्सेनिक से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना पर कुल 9286 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

iii. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना

- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित पंचायतों के वैसे वार्ड, जहां का जल गुणवत्ता से प्रभावित नहीं है अथवा उन पंचायतों में जहां इस विभाग द्वारा पेयजलापूर्ति की योजनाएं पूर्व से चलायी जा रही हैं, में कार्यान्वित कराया जा रहा है। वार्डों के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण वार्डों की अनुसूचित जनजाति/जाति की जनसंख्या एवं 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। इस योजना पर कुल 3064 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

iv. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना

- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया जा रहा है जिसके तहत राज्य के सभी 143 नगर निकायों के नल–जल से अनाच्छादित 15,63,766 परिवारों को पाईप के माध्यम से नल के जल की आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। सभी नयी जलापूर्ति योजनाओं में संचालन एवं रख–रखाव नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। पूर्व की योजनाएं जिनमें गृह जल संयोजन (House Connection) नहीं किया गया है, गृह जल संयोजन का कार्य संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस योजना पर 930.85 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इस योजनान्तर्गत कुल अनुदान राशि 12,000 रुपये में से 4,000 रुपये भारत सरकार के मद से एवं 8,000 रुपये बिहार सरकार अपने मद से दे रही है।

निश्चय 5 : घर तक, पक्की गली–नालियाँ

- इस निश्चय के तहत संपर्क–विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना है तथा सभी गांव एवं शहरों में गली–नाली का निर्माण कराया जाना है। इस निश्चय को 28 अक्टूबर, 2016 से प्रारम्भ किया गया है जिसके तहत तीन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं–ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना।

i. ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना

- इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। **ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत** 100 से 249 तक की आबादी वाली 4643 बसावटों की पहचान की गई, जिन्हें 2019–20 तक संपर्कता प्रदान की जायेगी। इस योजना पर कुल 2952 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

ii. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना

- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम एवं बसावटों के अंतर्गत पक्की गली एवं नाली का निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके तहत सभी 8386 ग्राम पंचायतों के सभी 114691 वार्डों को चरणबद्ध ढंग से आच्छादित किया जायेगा जिस पर लगभग 14249 करोड़ रुपये का व्यय होगा। ग्राम पंचायतों में वार्डों के

चयन की प्राथमिकता का निर्धारण अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या की बहुलता एवं तत्पश्चात वार्डों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जायेगा। पंचायत अंतर्गत मॉडल विकसित करने हेतु खुले में शौच से मुक्त (ODF) एक वार्ड का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा।

iii. मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना

❖ मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत नगर निकायों द्वारा प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ने तथा प्रत्येक घर को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत सभी 143 नगर निकायों के 3377 वार्डों को चरणबद्ध ढंग से आच्छादित किया जायेगा, जिसपर लगभग 1460 करोड़ रुपये का व्यय होगा। योजनाओं का चयन वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड स्तरीय आम सभा के माध्यम से किया जायेगा तथा संबंधित नगर निकाय इसकी नोडल एजेंसी है।

निश्चय 6 : शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

❖ इस निश्चय के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त तथा स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए राज्य के सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। यह निश्चय महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे न सिर्फ महिलाओं में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा बल्कि यह सामाजिक वातावरण को भी स्वच्छ बनाये रखने में सहायक होगा। इस निश्चय का प्रारम्भ 27 सितम्बर, 2016 को किया गया। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को 12000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस निश्चय को पूरा करने हेतु दो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं–लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र) योजना।

i. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

❖ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इसके तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, जिसपर कुल 19277 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। इस निश्चय के तहत लक्षित कुल 8,386 पंचायतों एवं 121.6 लाख घरों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

ii. शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र)

❖ शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र) योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों के शौचालय की सुविधा से अनाच्छादित लगभग 5.58 लाख परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है जिस पर लगभग 602 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

निश्चय 7 : अवसर बढ़े, आगे पढ़ें

❖ 'अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें' निश्चय के तहत राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं के योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों की आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने हेतु राज्य में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ कौशल विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. संस्थान, पैरा–मेडिकल संस्थान, पॉलिटेकनिक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय तथा प्रत्येक अनुमण्डल में ए.एन.एम. संस्थान एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। राज्य में पाँच नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है।

i. प्रत्येक जिले में जी0एन0एम0 संस्थान की स्थापना

❖ राज्य के 5 जिले में पूर्व से जी0एन0एम0 संस्थान संचालित हैं। 10 जिले में पूर्व से निर्माणाधीन तथा शेष 23 जिलों में मुख्यमंत्री निश्चय जी0एन0एम0 संस्थान योजना के तहत जी0एन0एम0 संस्थान की स्थापना चरणबद्ध ढंग से की जानी है। इसके निर्माण पर 307.13 करोड़ रु0 का व्यय होगा। इसकी स्थापना से

बेटा–बेटी एक समान। दहेज–प्रथा करे सबका अपमान।।

तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर के साथ–साथ राज्य के अस्पतालों में जी0एन0एम0 ('ए' ग्रेड नर्स) की कमी दूर होगी।

ii. प्रत्येक जिले में पैरा–मेडिकल संस्थान की स्थापना

- राज्य में पांच जिले में पूर्व से पैरा–मेडिकल संस्थान संचालित है। शेष 33 जिलों में **मुख्यमंत्री निश्चय पैरा–मेडिकल संस्थान योजना** के तहत् पैरा–मेडिकल संस्थान की स्थापना चरणबद्ध ढंग से की जानी है जिस पर कुल 329.34 करोड़ रु0 का व्यय होगा। इसकी स्थापना से तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ–साथ राज्य के अस्पतालों में पैरा–मेडिकल कर्मियों की कमी दूर होगी।

iii. प्रत्येक जिले में पॉलिटेकनीक संस्थान की स्थापना

- कुल लक्ष्य 38 के विरुद्ध 30 जिलों में पूर्व से संचालित है। शेष 8 जिलों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। 28 जिलों में इस संस्थान के भवन पूर्व से निर्मित हैं तथा 7 जिलों में निर्माणाधीन है। शेष तीन जिलों में भवन निर्माण कराया जायेगा। इन संस्थानों की स्थापना पर लगभग 841 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

iv. प्रत्येक जिले में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

- कुल लक्ष्य 38 के विरुद्ध 30 जिलों में संचालित है। शेष 8 जिलों में चरणबद्ध ढंग से स्थापित किया जा रहा है। 9 जिलों में इस संस्थान के भवन निर्मित हैं तथा 21 जिलों में निर्माणाधीन है। शेष 8 जिलों में भवन निर्माण कराया जायेगा। इन संस्थानों की स्थापना पर लगभग 255 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

v. प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना

- कुल लक्ष्य 38 के विरुद्ध 16 जिलों में संचालित है। शेष 22 जिलों में चरणबद्ध तरीके से संचालन किया जायेगा। 7 जिलों में इस संस्थान के भवन निर्मित हैं तथा 27 जिलों में निर्माणाधीन है, शेष 4 जिलों में भवन निर्माण कराया जायेगा। इन संस्थानों की स्थापना पर लगभग 3016 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

vi. सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना

- राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जानी है। कुल 16 के लक्ष्य के विरुद्ध 9 चिकित्सा महाविद्यालयों में भूमि उपलब्ध है। शेष 7 में भूमि चिन्हित कर हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। कुल 16 चिन्हित मेडिकल कॉलेजों में बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर कुल 423.96 करोड़ रु0 का व्यय होगा। इसकी स्थापना से राज्य के ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी एवं रोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा।

vii. प्रत्येक अनुमंडल में ए0एन0एम0 संस्थान की स्थापना

- कुल लक्ष्य 101 के विरुद्ध 47 अनुमंडलों में पूर्व से संचालित है। शेष 54 अनुमंडलों में चरणबद्ध तरीके से संचालन का लक्ष्य है। कुल 54 चिन्हित अनुमंडलों में इसके निर्माण पर कुल 340.58 करोड़ रु0 का व्यय होगा। इसकी स्थापना से तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर के साथ–साथ राज्य के अस्पतालों में ए0एन0एम0 (नर्स) की कमी दूर होगी।

viii. प्रत्येक अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

- राज्य के कुल 101 अनुमंडल में से 85 अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। शेष 16 अनुमंडल में सत्र संचालित किया जा रहा है।

ix. राज्य में पांच और नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना

- वर्तमान में राज्य में 10 सरकारी एवं 4 निजी मेडिकल कॉलेज है। इसके अतिरिक्त मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण हो रहा है। साथ ही छपरा (सारण), पूर्णिया एवं समस्तीपुर में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य में पांच और नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, भोजपुर एवं वैशाली जिलों में करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इन नये मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में कुल 2000 करोड़ रु0 का व्यय होगा। इस प्रकार राज्य में मानक के अनुरुप मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 हो जायेगी। इससे राज्य में ही छात्र / छात्राओं को मेडिकल शिक्षा का उचित अवसर प्राप्त होगा।

Design & Printed by Patna Offset Press, Patna # 9693202981